न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 38/2010/223 आर टी ए

मनफूल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
3. अधीक्षण अभियन्ता सूरतगढ़ सर्कल हनुमानगढ़।
4. अधिशाषी अभियन्ता फीडर खण्ड हनुमानगढ़।
5. भीखाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. मोहनलाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. इन्द्रपाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी

प्रकरण संख्या 115/07 अनवानी मनफूल बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक –08.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 5 ता 7 के पिता पुरखाराम के नाम से चक 9 सीडीआर मे 2.18 बीघा भूमि खातेदारी (दखलकारी) की थी जो पूर्व मे अपीलांट के पिता व वर्तमान मे अपीलांट के कब्जा काश्त मे है। राजस्थान कैनाल के निर्माण के समय अपीलांट की उक्त भूमि मे से मिट्टी निकाल कर नहर की पटरी का निर्माण किया

गया था अपीलांट की भूमि मे से मिट्टी निकालने पर भूमि मे गड्ढे होने के कारण गिरदावरी मे खदान दर्ज कर दिया गया व उसके पश्चात भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नहरी विभाग के नाम दर्ज कर दी जिसके राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये दावा खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो को अनदेखा करके विधि विरूद्ध पारित किया गया होने के कारण खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता स्व. पुरखाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज थी। उक्त भूमि को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अधिग्रहण नही किया गया था केवल मात्र भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड मे भूमि का अंकन नहरी विभाग के नाम से दर्ज कर दिया जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड मे प्रवर्तन करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को पूर्णतः साबित किया था कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है व अपीलांट के कब्जा काश्त मे है। परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट के उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी करके केवल मात्र वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि खातेदारी (दखलकारी) की भूमि के संबंध मे वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत कृषि भूमि से संबंधित घोषणा करने का अधिकार सहायक कलक्टर को है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 1 ता 4 ने अपने जवाबदावा मे भी कोई आपत्ति नही की थी व जवाबदावा एवं अपीलांट के

साक्ष्य से वाद पूर्णतः साबित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता पुरखाराम के नाम से खातेदारी (दाखिलकार) दर्ज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। अपीलांट का तर्क है कि उक्त भूमि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नहरी विभाग के नाम से दर्ज कर दी गई। जिसकी दुरूस्ती बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि की घोषणा का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए वाद खारिज कर दिया कि '' विवादित भूमि पूर्व मे वादी के पिता के नाम से खातेदारी दाखिलकारी की भूमि दर्ज थी दाखिलकारी की भूमि के संबंध मे किसी भी प्रकार का आदेश जारी करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है वादी को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिये तथा वादी के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे साबित हो कि उक्त वादग्रस्त भूमि नहर मे अवाप्त हुई है या नही नहर का निर्माण हुआ है तो भूमि तो आवश्यक रूप से अवाप्त हुई है विवादित भूमि अवाप्त की गई है या नही का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है इस प्रकार साक्ष्य सबूत एवं क्षेत्राधिकार मे नही होने के कारण वाद खारिज किया जाता है।'' जबकि यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे अपीलांट के पिता पुरखाराम के नाम से खातेदारी दाखिलकारी दर्ज थी तथा पूर्व अपीलांट के पिता व मृत्यु के बाद अपीलांट के कब्जा काश्त मे है। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न पर्चा खतौनी ग्राम कुलचन्द्र एवं खसरा गिरदावरी से साबित है। प्रकरण यह तय करना है कि उक्त वादग्रस्त भूमि जो पूर्व पुरखाराम के नाम से खातेदारी दाखिलकारी दर्ज थी वह नहरी विभाग के नाम से किस प्रकार से दर्ज हुई तथा वादग्रस्त नहर मे अवाप्त की गई है या

नही है। ऐसी स्थिति वादग्रस्त भूमि के संबंध अवाप्ति संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट मय अवाप्ति रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे भूमि अवाप्ति संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य एवं भूमि अवाप्ति रिपोर्ट के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.03.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़